भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3598

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विनिवेश

3598. श्री मोहम्मद आजम खां:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वित्तीय रूप से कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक बड़े हिस्से का विनिवेश करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों के हिस्से को निजी कंपनियों को विनिवेश हेतु देने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास वित्तीय रूप से कमजोर बैंकों की स्थिति मजबूत करने हेतु कोई उपाय विचारणीय है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन बैंकों की कमजोर वित्तीय स्थिति के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): वैश्विक परिचालन के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 18,19,074 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 52,15,920 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के पाए गए मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्यूआर तथा बैंकों द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्वरूप दबावग्रस्त खातों को एनपीए के रूप पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत पूर्व में प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। इसके अलावा, दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। वर्ष 2015 में दबाव की पहचान किये जाने से पहचान नहीं किये गये दबाव का प्रतिकूल प्रभाव पीएसबी के वित्तीय संकेतकों में कमजोरी के रूप में प्रकट हुआ।

पीएसबी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए विगत चार वित्तीय वर्ष में सरकार ने व्यापक 4आर कार्यनीति के भाग के रूप में पीएसबी में 2,45,997 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसमें पीएसबी सुधार एजेंडा के माध्यम से पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण और बैंकों में सुधार करके स्वच्छ और प्रभावी कानूनों एवं प्रक्रियाओं के माध्यम से एनपीए की पारदर्शी पहचान, दबावग्रस्त खातों का समाधान और उनसे धन की वसूली करना शामिल है। इस कार्यनीति के अंतर्गत उठाए गए कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के कारण ऋण के तौर-तरीके में परिवर्तन होने से मौलिक रूप से ऋणदाता-कर्जदार के संबंधों में बदलाव होना, चूककर्ता कंपनी के प्रवर्तकों/स्वामियों से कंपनी का नियंत्रण छीन लेना और समाधान प्रक्रिया से इरादतन चूककर्ताओं को प्रतिबंधित करना एवं उन्हें बाजार से निधियां जुटाने से प्रतिबंधित करना।

(ii) विगत चार वित्तीय वर्ष के दौरान, पीएसबी का 3,11,796 करोड़ रुपए की सीमा तक पुनर्पूंजीकरण किया गया है जिसमें पीएसबी द्वारा अपने स्तर पर 65,799 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि जुटाकर किया गया है।

(iii) पीएसबी सुधार एजेण्डा के भाग के रूप में पीएसबी में महत्वपूर्ण सुधार किए गए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) पीएसबी की बोर्ड अनुमोदित ऋण नीतियों में अब संवितरण से पूर्व आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन और लिंकेज को संबद्ध करने, परियोजना वित्तपोषण में समूह तुलन-पत्र की जांच करने और नकदी प्रवाह को सीमित करने एवं गैर-निधि और अंतिम जोखिम मूल्यांकन को अनिवार्य किया गया है।

(ख) समग्र आंकड़ा स्रोतों में व्यापक सम्यक तत्परता के लिए तृतीय पक्ष आंकड़ा स्रोतों के उपयोग को स्थापित किया गया है, इस प्रकार मिथ्या निरूपण और धोखाधड़ी के कारण होने वाले जोखिम को कम किया जा सकता है।

(ग) उच्च मूल्य वाले ऋणों की स्वीकृति की भूमिका को निगरानी की भूमिका से सख्ती से अलग किया गया है और 250 करोड़ रुपए या उससे अधिक के ऋण की निगरानी के लिए वित्तीय तथा कार्यक्षेत्र दोनों का ज्ञान रखने वाली विशेषज्ञ निगरानी एजेंसियों की सेवाएं ली जाती हैं।

(घ) एकबारगी निपटान (ओटीएस) में समयबद्ध और बेहतर वसूली सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन आद्योपान्त (एंड टू एंड) ओटीएस प्लेटफार्म स्थापित किया गया है।

सरकार के 4आर दृष्टिकोण का पीएसबी पर सकारात्मक प्रभाव अब दिखाई दे रहा है और इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,27,987 करोड़ रुपए की रिकार्ड वसूली सहित विगत चार वर्ष में 3,16,479 करोड़ रुपए की भारी वसूली हुई है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 में एनपीए में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 45% की कमी और एनपीए जो जून 2017 में अपने चरम पर था, मार्च 2019 तक इसमें 31 से 90 दिनों के लिए अतिदेय (एसएमए 1 और 2) कारपोरेट खातों में 63% की कमी आई, जो आस्ति गुणवत्ता में सुधार को दर्शाता है।

(iii) काफी हद तक दबाव की पहचान पूरी होने के बाद आईबीसी के अंतर्गत वसूली और समाधान में व्यापक प्रगति होने तथा बेहतर हामीदारी और निगरानी के परिणामस्वरूप चूक के कम होने से पीएसबी का सकल एनपीए जो मार्च 2018 में शीर्ष पर था, में गिरावट आनी प्रारंभ हो गई, पीएसबी का एनपीए मार्च 2018 में 8,95,601 करोड़ रुपए था, 1,06,032 करोड़ रुपए की गिरावट दर्ज करते हुए मार्च 2019 में 7,89,569 करोड़ रुपए हो गया।

इस प्रकार ऋण के तौर-तरीके को बदलने के लिए व्यापक सुधार के माध्यम से पीएसबी में दबाव के निर्माण के पीछे अन्तर्निहित कारणों का समाधान करते हुए और वित्तीय प्रणाली में अनुशासन को सुदृढ़ बनाते हुए, मजबूत जोखिम अंकन और निगरानी, अभिशासन सुधारों को संस्थागत बनाते हुए और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए पीएसबी सुदृढ़ हो गए हैं।

[टिप्पणी: उपर्युक्त वर्णित पीएसबी के आंकड़ों में आईडीबीआई लि., जिसे आरबीआई द्वारा 21.1.2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुन:वर्गीकृत किया गया, के आंकड़े भी शामिल हैं।]

*****